



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23092026-276443
CG-DL-E-23092026-276443

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 768]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 23, 2026/आश्विन 1, 1948

No. 768]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 23, 2026/ASVINA 1, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2026

सा.का.नि. 838(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माल और सेवा कर अपीलीय अधिकरण, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय में पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम माल और सेवा कर अपीलीय अधिकरण, समूह 'क' और समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना: ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर: उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उनका स्तर वह होगा, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि: भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उपरोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता: वह व्यक्ति, --

क. जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है ; या

ख. जिसने, अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु केन्द्रीय सरकार, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह आदेश द्वारा, और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में, शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. रजिस्ट्रार	*1 (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर - 13 (123100 - 215900/- रुपए)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(11)
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों या न्यायालयों या अधिकरणों या उच्चतर न्यायिक सेवा या राज्य न्यायिक सेवा के ऐसे अधिकारी : (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है ; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-12 (78800-209200 रुपए) में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो ; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हों, अर्थात् :-- अनिवार्य : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की डिग्री ; (ii) प्रशासनिक या स्थापन या न्यायालय के मामलों में तीन वर्ष का अनुभव। वांछनीय : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विधि में स्नातक की डिग्री ; (ii) सीमा-शुल्क या केंद्रीय उत्पाद-शुल्क या सेवा कर या मूल्य वर्धित कर या राज्य कर या माल और सेवा कर विभाग में तीन वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अन्तर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति अवधि सम्मिलित है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना ।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(12)	(13)
लागू नहीं होता ।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. वित्तीय सलाहकार	*1 (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर - 13 (123100 - 215900/- रुपए)	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

(11)
प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के ऐसे अधिकारी-- (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है ; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-12 (78800-209200 रुपए) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो ; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हों, अर्थात् :-- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य या लेखा में स्नातक की डिग्री ; और (ii) सरकारी कार्यालयों, स्वायत्त निकाय, कानूनी संगठन और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में संपरीक्षा, वित्तीय या लेखा मामलों में तीन वर्ष का अनुभव । टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति अवधि सम्मिलित है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी । टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(12)	(13)
लागू नहीं होता।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. उप रजिस्ट्रार	*20 (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर - 11 (67700 - 208700/- रुपए)	चयन	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	(i) 70 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) : (ii) 30 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/आमेलन द्वारा।

(11)
प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 (56100-177500 रुपए) में ऐसे सहायक रजिस्ट्रार, जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है और प्रशासनिक, विधिक या न्यायिक, न्यायालय संबंधी मामलों और सूचना के अधिकार मामलों में तीन सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/आमेलन : केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों या न्यायालयों या अधिकरणों या राज्य न्यायिक सेवा के ऐसे अधिकारी-- (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है ; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 (56,100-1,77,500 रुपए) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो ; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हों, अर्थात् :--

अनिवार्य :

- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की डिग्री ;
- (ii) प्रशासनिक या स्थापन या न्यायालय के मामलों में पांच वर्ष का अनुभव ।

वांछनीय :

- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विधि में स्नातक की डिग्री ;
- (ii) सीमा-शुल्क, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, सेवा कर या मूल्य वर्धित कर या राज्य कर या माल और सेवा कर विभाग में पांच वर्ष का अनुभव ।

टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अन्तर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति अवधि सम्मिलित है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 4 : केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के अधिकारियों पर आमेलन के लिए विचार किया जाएगा ।

(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे :-- (1) अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग -- अध्यक्ष ; (2) अध्यक्ष, माल और सेवा कर अपीलीय अधिकरण -- सदस्य ; (3) सचिव, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय का नामनिर्देशिती (जो संयुक्त सचिव की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति का हो) -- सदस्य ; (4) रजिस्ट्रार, माल और सेवा कर अपीलीय अधिकरण -- सदस्य । समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (आमेलन/पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे :--	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।
(1) अपील अधिकरण का एक सदस्य (अध्यक्ष, माल और सेवा कर अपील अधिकरण द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाला) -- अध्यक्ष ; (2) सचिव, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय का नामनिर्देशिती (जो निदेशक या उप सचिव की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति का हो) -- सदस्य ; (3) रजिस्ट्रार, माल और सेवा कर अपीलीय अधिकरण -- सदस्य ।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. सहायक रजिस्ट्रार	*32 (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर - 10 (56100-177500/- रुपए)	चयन	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए 2 वर्ष।	(i) 80 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) ; (ii) 20 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/आमेलन द्वारा।

(11)
प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 (47600-151100 रुपए) में ऐसे न्यायालय अधिकारी, जिन्होंने उस श्रेणी में चार वर्ष की नियमित सेवा की है और प्रशासनिक, विधिक या न्यायिक, न्यायालय संबंधी मामलों और सूचना के अधिकार मामलों में चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/आमेलन : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों या न्यायालयों या अधिकरणों या राज्य न्यायिक सेवा के ऐसे अधिकारी-- (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है ; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-9 (53100-167800 रुपए) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दो वर्ष की सेवा की हो ; या (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 (47600-151100 रुपए) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में चार वर्ष की सेवा की हो ; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हों, अर्थात् :-- अनिवार्य : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की डिग्री ;

(ii) प्रशासनिक या स्थापन या न्यायालय के मामलों में तीन वर्ष का अनुभव ।

वांछनीय :

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विधि में स्नातक की डिग्री ;

(ii) सीमा-शुल्क, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, सेवा कर या मूल्य वर्धित कर या राज्य कर या माल और सेवा कर विभाग में तीन वर्ष का अनुभव ।

टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति अवधि सम्मिलित है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 4 : केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के अधिकारियों पर आमेदन के लिए विचार किया जाएगा ।

(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे :-- (1) अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग -- अध्यक्ष ; (2) सदस्य, माल और सेवा कर अपील अधिकरण (अध्यक्ष, माल और सेवा कर अपील अधिकरण द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाला) -- सदस्य ; (3) सचिव, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय का नामनिर्देशिती (जो निदेशक की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति का हो) -- सदस्य ; (4) रजिस्ट्रार, माल और सेवा कर अपीलीय अधिकरण -- सदस्य ।	प्रोन्नति के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।
समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (आमेदन/पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे :-- (1) अपील अधिकरण का एक सदस्य (अध्यक्ष, माल और सेवा कर अपील अधिकरण द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाला) -- अध्यक्ष ; (2) सचिव, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय का नामनिर्देशिती (जो निदेशक या उप सचिव की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति का हो) -- सदस्य ; (3) रजिस्ट्रार, माल और सेवा कर अपीलीय अधिकरण -- सदस्य ।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. सहायक	*24 (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	स्तर - 6 (35400-112400/- रुपए)	चयन	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए 2 वर्ष।	(i) 80 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) ; (ii) 20 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा।

(11)
प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (25500-81100 रुपए) में ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक, जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा की है और न्यायिक, प्रशासनिक और स्थापन या न्यायालय कार्य संबंधी मामलों में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों या न्यायालयों या अधिकरणों या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों या मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या अनुसंधान संस्थान के ऐसे अधिकारी,-- (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है ; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (29200-92300 रुपए) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष की सेवा की हो ; या (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (25500-81100 रुपए) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दस वर्ष की सेवा की हो ; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हों, अर्थात् :--

अनिवार्य :

- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की डिग्री ;
- (ii) स्थापन या प्रशासनिक या लेखा मामलों में दो वर्ष का अनुभव ।

वांछनीय :

सीमा-शुल्क, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, सेवा कर या मूल्य वर्धित कर या राज्य कर या माल और सेवा कर विभाग में एक वर्ष का अनुभव ।

टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति अवधि सम्मिलित है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे :-- 1. अपील अधिकरण का सदस्य (अध्यक्ष, माल और सेवा कर अपील अधिकरण द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाला) -- अध्यक्ष ; 2. सचिव, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय का नामनिर्देशिनी (जो निदेशक या उपसचिव की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति का हो) -- सदस्य ; 3. रजिस्ट्रार, माल और सेवा कर अपीलीय अधिकरण -- सदस्य ।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6. विधिक सहायक	*129 (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	स्तर - 6 (35400-112400 रुपए)	लागू नहीं होता ।

(6)	(7)	(8)
30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी, जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।	अनिवार्य : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विधि में स्नातक की डिग्री। टिप्पण 1 : अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हताएं, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।	लागू नहीं होता।

(9)	(10)	(11)
2 वर्ष। टिप्पण : परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी करने के लिए, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविहित, कम से कम दो सप्ताह का अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण करना होगा।	सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण : पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति आधार पर भरी जा सकेगी : (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है ; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (29,200-92,300 रुपए) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष की सेवा की हो ; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अनुभव और शैक्षिक अर्हताएं हैं।	लागू नहीं होता।

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे :-- 1. अपील अधिकरण का सदस्य (अध्यक्ष, माल और सेवा कर अपील अधिकरण द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाला) -- अध्यक्ष ; 2. सचिव, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय का नामनिर्देशिती (जो उपसचिव की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति का हो) -- सदस्य ; 3. रजिस्ट्रार, माल और सेवा कर अपीलीय अधिकरण -- सदस्य ।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. प्रधान निजी सचिव	*11 (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अनुसचिवीय	स्तर - 11 (67700 - 208700/- रुपए)	चयन	लागू नहीं होता ।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	2 वर्ष ।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) ।

(11)
प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 (47600-151100 रुपए) में ऐसे ज्येष्ठ निजी सचिव, जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की है और समय-समय पर यथा निश्चित सुसंगत विषयों या क्षेत्रों में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है । टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) : केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों या न्यायालयों या अधिकरणों या उच्चतर न्यायिक सेवा या राज्य न्यायिक सेवा के आशुलिपिक काडर के ऐसे अधिकारी :

- (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है ; या
- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 (56100-177500 रुपए) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो ; या
- (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-9 (53100-167800 रुपए) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में सात वर्ष की सेवा की हो ; या
- (iv) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 (47600-151100 रुपए) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में आठ वर्ष की सेवा की हो ; और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हों, अर्थात् :--

- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी शाखा में स्नातक की डिग्री ; और
- (ii) सचिवीय कार्यपद्धतियों, कार्यालय प्रबंधन, लोक व्यवहार और संबंधित मामलों में दो वर्ष का अनुभव ।

टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति अवधि सम्मिलित है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे :-- 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग -- अध्यक्ष ; 2. अपील अधिकरण का सदस्य (अध्यक्ष, माल और सेवा कर अपील अधिकरण द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाला) -- सदस्य ; 3. सचिव, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय का नामनिर्देशिती (जो निदेशक/उप सचिव की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति का है) -- सदस्य ; 4. माल और सेवा कर अपील अधिकरण का रजिस्ट्रार -- सदस्य ।	प्रोन्नति के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8. ज्येष्ठ निजी सचिव	*21 (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अनुसचिवीय	स्तर - 8 (47600-151100/- रुपए)	चयन	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(11)
प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44900-142400 रुपए) में ऐसे निजी सचिव, जिन्होंने उस श्रेणी में दो वर्ष की नियमित सेवा की है और दो से चार सप्ताह का प्रशिक्षण, जैसा सक्षम प्राधिकारी द्वारा तात्कालिक नियमों में विहित किया जाए, सफलतापूर्वक पूरा किया है ; जिसके न हो सकने पर, वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44900-142400 रुपए) में ऐसे निजी सचिव, जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44900-142400 रुपए) में निजी सचिव के रूप में और वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35400-112400 रुपए) में आशुलिपिक, श्रेणी-1 के रूप में छह वर्ष की संयुक्त नियमित सेवा की है और दो से चार सप्ताह का सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा विहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के अधीन आशुलिपिक काडर का पद धारण करने वाले ऐसे अधिकारी : (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है ; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44900-142400 रुपए) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दो वर्ष की सेवा की हो। टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) सम्मिलित है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे :--	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।
1. अपील अधिकरण का सदस्य (अध्यक्ष, माल और सेवा कर अपील अधिकरण द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाला) -- अध्यक्ष ;	
2. सचिव, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय का नामनिर्देशिती (जो निदेशक या उप सचिव की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति का हो) -- सदस्य ;	
3. माल और सेवा कर अपील अधिकरण का रजिस्ट्रार -- सदस्य ।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9. निजी सचिव	*24 (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	स्तर - 7 (44900-142400/- रुपए)	चयन	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(11)
प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35400-112400 रुपए) में ऐसे आशुलिपिक, श्रेणी-1, जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है और सचिवीय कार्यपद्धतियों, कार्यालय प्रबंधन, प्रभावी संचार कौशल, लोक व्यवहार, निर्णयों और आदेशों का श्रुतलेखन और अधिकरण से संबंधित अन्य प्रशासनिक और न्यायिक मामलों में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है।
टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो

भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति :

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के अधीन आशुलिपिक काडर का पद धारण करने वाले ऐसे अधिकारी,--

(क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है ; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35,400-1,12,400 रुपए) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो।

टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति अवधि सम्मिलित है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे :--	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।
1. अपील अधिकरण का सदस्य (अध्यक्ष, माल और सेवा कर अपील अधिकरण द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाला) -- अध्यक्ष ;	
2. सचिव, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय का नामनिर्देशिती (जो निदेशक या उप सचिव की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति का हो) -- सदस्य ;	
3. माल और सेवा कर अपील अधिकरण का रजिस्ट्रार -- सदस्य ।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10. आशुलिपिक, श्रेणी-1	*72 (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	स्तर - 6 (35400-112400/- रुपए)	चयन	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(11)

प्रोन्नति :

वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (25500-81100 रुपए) में ऐसे आशुलिपिक, श्रेणी-2, जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा की है और सचिवीय कार्यपद्धतियों, कार्यालय प्रबंधन, प्रभावी संचार कौशल, लोक व्यवहार, निर्णयों और आदेशों का श्रुतलेखन और अधिकरण से संबंधित अन्य प्रशासनिक और न्यायिक मामलों में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है।

टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति :

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासनों के अधीन आशुलिपिक काडर का पद धारण करने वाले ऐसे अधिकारी :

(क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है ; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (25500-81100 रुपए) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दस वर्ष की सेवा की हो।

टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति अवधि सम्मिलित है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे :--	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।
1. अपील अधिकरण का सदस्य (अध्यक्ष, माल और सेवा कर अपील अधिकरण द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाला) -- अध्यक्ष ;	
2. सचिव, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय का नामनिर्देशिती (जो निदेशक या उप सचिव की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति का है) -- सदस्य ;	
3. माल और सेवा कर अपील अधिकरण का रजिस्ट्रार -- सदस्य ।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11. ज्येष्ठ लेखा अधिकारी	*24 (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर - 10 (56100-177500/- रुपये)	लागू नहीं होता।

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(11)
प्रतिनियुक्ति : (क) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों या अधिकरणों के अधीन ऐसे अधिकारी : (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है ; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-9 (53100-167800 रुपये) या समतुल्य में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो ; या (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 (47600-151100 रुपये) या समतुल्य में चार वर्ष की नियमित सेवा की हो ; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हों, अर्थात् :-- अनिवार्य : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की डिग्री ; (ii) किसी सरकारी कार्यालय या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या स्वायत्त निकाय या कानूनी निकाय में रोकड़ या लेखा या बजट कार्य में तीन वर्ष का अनुभव। वांछनीय : संपरीक्षा या लेखा/वित्त और बजट प्रबंधन में दो वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति अवधि सम्मिलित है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
लागू नहीं होता।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12. लेखाकार	*24 (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	स्तर-6 (35400-112400/- रुपए)	लागू नहीं होता।

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(11)
प्रतिनियुक्ति : (क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों या अधिकरणों के अधीन ऐसे अधिकारी : (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है ; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (29200-92300 रुपए) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष की सेवा की हो ; या (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (25500-81100 रुपए) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दस वर्ष की सेवा की हो ; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हों, अर्थात् :-- अनिवार्य : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की डिग्री ; (ii) सरकारी कार्यालय या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या स्वायत्त निकाय या कानूनी निकाय में रोकड़ या लेखा या बजट कार्य में दो वर्ष का अनुभव। वांछनीय : संपरीक्षा या लेखा या वित्त और बजट प्रबंधन में एक वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति अवधि सम्मिलित है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
लागू नहीं होता।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए-11/1/2024-सीईएसटीएटी-डीओआर-डीओआर-भाग(2)-भाग(4)]

बालसुब्रमणियन कृष्णमूर्ति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd September, 2026

G.S.R. 838(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to posts in the Goods and Services Tax Appellate Tribunal, Department of Revenue, Ministry of Finance, namely: —

- Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Goods and Services Tax Appellate Tribunal, Group 'A' and 'B' Posts Recruitment Rules, 2026.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Application:** These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
- Number of posts, classification and Level in Pay Matrix.**—The number of said posts, their classification and Level in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.
- Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.** .—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
- Disqualification.**—No person, —
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Savings.**—Nothing in these rules shall effect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Pay Level in Pay Matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age - limits for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Registrar.	*1(2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level- 13 (Rs. 123100 - 215900)	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	By deputation (including short-term contract)	Deputation (including short-term contract). Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or autonomous bodies or statutory organisations or public sector undertakings or courts or tribunals or Higher Judicial Service or State Judicial Service: (A) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-12 (Rs. 78800 – 209200) in the Pay Matrix in the parent cadre or department: and	Not applicable.	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

			(B) possessing the following educational qualifications and experience namely:— Essential: (i) Bachelor's degree from a recognised university or institute; (ii) three years experience in administration or establishment or court matters. Desirable: (i) Bachelor's degree in law from a recognised university or institute; (ii) three years experience in Customs or Central Excise or Service Tax or Value added Tax or State Tax or Goods and Services Tax Department. Note 1: The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		
--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Financial Advisor.	*1(2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level- 13 (Rs. 123100 – 215900).	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	By deputation.	Deputation: Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations.	Not applicable.	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

			(A) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years service rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level - 12 (Rs. 78800 – 209200) in the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (B) possessing the following educational qualifications and experience, namely: — (i) Bachelor's degree in accounts or commerce from a recognised university; and (ii) three years experience in audit, financial or accounting matters, cash and budgeting in Government offices, autonomous body, statutory organisation and public sector undertakings. Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment shall ordinarily not exceed five years. Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		
--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. Deputy Registrar.	*20(2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level - 11 (Rs. 67700 - 208700)	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	(i) 70% by promotion, failing which by deputation (including short term contract); (ii) 30% by deputation (including short-term contract)/absorption	Promotion: Assistant Registrar in level-10 (Rs. 56100 – Rs. 177500) in the Pay Matrix with five years regular service in the grade and having successfully completed three weeks training in administrative, legal or judicial, court related matters and right to information matters. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation (including short-term contract)/absorption: Officers of the Central Government	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (1) Chairman or Member of Union Public Service Commission – Chairperson; (2) President, Goods and Services Tax Appellate Tribunal – Member; (3) nominee of the Secretary, Department of Revenue, Ministry of Finance (not below the rank of Joint Secretary) – Member; (4) Registrar, Goods and Services Tax Appellate Tribunal – Member. Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering absorption/confirmaiton) consisting of— (1) A Member of the Appellate Tribunal (to be nominated by the President, Goods and Service Tax Appellate Tribunal) – Chairperson; (2) nominee of the Secretary, Department of Revenue, Ministry of Finance (not below the rank of Director or Deputy Secretary) – Member; (3) Registrar, Goods and Service Tax Appellate Tribunal - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

			or State Governments or Union territory Administrations or autonomous bodies or statutory organisations or public sector undertakings or courts or tribunals or State Judicial services— (A)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-10 (Rs. 56100 – 177500) in the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (B) possessing the following educational qualifications and experience, namely:— Essential: (i) Bachelor's degree from a recognised university or institute; (ii) five years experience in administrative or establishment or court matters. Desirable: (i) Bachelor's degree in law from a recognised university or institute; (ii) five years experience in		
--	--	--	--	--	--

			Customs, Central Excise, Service Tax or Value added Tax or State Tax or Goods and Services Tax Department. Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another <i>ex- cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications. Note 4: Officers of the Central Government or the State Governments or		
--	--	--	--	--	--

			Union territory Administrations shall be considered for absorption.		
--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. Assistant Registrar.	*32(2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-10 (Rs. 56100 – 177500).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years for promotees .	(i) 80% by promotion, failing which by deputation (including short term contract); (ii) 20% by deputation (including short-term contract)/absorption.	Promotion: Court Officer in level-8 (Rs. 47600 - 151100) in the Pay Matrix with four years regular service in the grade and have successfully completed four weeks training in administrative, legal or judicial, court related matters and right to information matters. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (1) Chairman or Member of Union Public Service Commission – Chairperson; (2) Member, Goods and Service Tax Appellate Tribunal (as nominated by the President, Goods and Service Tax Appellate Tribunal) – Member; (3) nominee of the Secretary, Department of Revenue, Ministry of Finance (not below the rank of Director) Member; (4) Registrar, Goods and Service Tax Appellate Tribunal – Member. Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering absorption/confirmation) consisting of— (1) A Member of the Appellate Tribunal (to be nominated by the President, Goods and	Consultation with Union Public Service Commission is necessary for promotion.

			completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation (including short-term contract)/absorption: Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or autonomous bodies or statutory organisations or public sector undertakings or courts or tribunals or State Judicial Service— (A) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level -9 (Rs. 53100 – 167800) in the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with four years service rendered after appointment on a regular basis in level-8 (Rs. 47600 - 151100) in the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre or department: and (B) possessing the following educational qualifications and experience, namely:--	Service Tax Appellate Tribunal) – Chairperson; (2) nominee of the Secretary, Department of Revenue, Ministry of Finance (not below the rank of Director or Deputy Secretary) – Member; (3) Registrar, Goods and Service Tax Appellate Tribunal - Member.	
--	--	--	--	---	--

			Essential: (i) Bachelor's degree from a recognised university or institute; (ii) three years experience in administrative or establishment or court matters. Desirable: (i) Bachelor's degree in law from a recognised university or institute; (ii) three years experience in Customs, Central Excise, Service Tax or Value Added Tax or State Tax or Goods and Services Tax Department. Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another <i>ex- cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government		
--	--	--	---	--	--

			shall ordinarily not exceed three years. Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications. Note 4: Officers of Central Government or State Governments or Union territory Administrations shall be considered for absorption.		
--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5. Assistant	*24(2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Ministerial.	Level-6 (Rs. 35400 – 112400)	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years for promotees.	(i) 80% by promotion failing which deputation (including short term contract); (ii) 20% by deputation (including short term contract).	Promotion: Upper Division Clerk with ten years regular service in level-4 (Rs. 25500 – 81100) in the Pay Matrix and have successfully completed two weeks training in the matters related to judicial, administrative and establishment or Court work. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (1) Member of the Appellate Tribunal (to be nominated by the President, Goods and Services Tax Appellate Tribunal) - Chairperson; (2) nominee of the Secretary, Department of Revenue,	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

			and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation (including short term contract): — Officers under Central Government or State Governments or Union territory Administrations or courts or tribunals or autonomous bodies or statutory organisation or public sector undertakings or recognised university or research institution,- (A) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-5 (Rs. 29200 – 92300) in the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with ten years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-4 (Rs. 25500 – 81100) in the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (B) possessing the following essential educational qualification and experience, namely— Essential: (i) Bachelor's degree from a recognised university or institute; (ii) two years experience in establishment or administration or accounts matters. Desirable: One year experience in Customs, Central Excise, Service Tax or Value Added	Ministry of Finance (not below the rank of Director or Deputy Secretary) - Member; (3) Registrar of Goods and Services Tax Appellate Tribunal – Member.	
--	--	--	---	---	--

			Tax or State Tax or Goods and Services Tax Department. Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.		
--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6. Legal Assistant.	*129(2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Ministerial.	Level-6 (Rs. 35400 – 112400).	Not applicable.	Not exceeding thirty years of age. (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with instructions or orders issue by Central Government) Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	Essential: Bachelor's degree in law from a recognised university or institute. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff

						Selection Commission or competent authority, in the case of candidates belonging to the Schedule Castes or the Schedule Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.
--	--	--	--	--	--	--

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years. Note: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation period as prescribed by the Central Government.	By direct recruitment. Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from the officers of Central Government: (A) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-5 (Rs. 29200 – 92300) in the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (B) possessing the qualifications and experience prescribed	Not applicable.	Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- (1) Member of the Appellate Tribunal (to be nominated by the President, Goods and Services Tax Appellate Tribunal – Chairperson; (2) nominee of the Secretary, Department of Revenue, Ministry of Finance (not below the rank of Deputy Secretary) – Member; (3) Registrar of Goods and Services Tax Appellate	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

		for direct recruits under column (7).		Tribunal – Member.	
--	--	---------------------------------------	--	--------------------	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7. Principal Private Secretary.	*11(2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Ministerial.	Level -11 (Rs. 67700 – 208700).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years.	By promotion, failing which by deputation (including short-term contract).	Promotion: Senior Private Secretary in Pay Level-8 (Rs. 47600 – 151100) in the Pay Matrix with eight years regular service in the grade and having successfully completed two weeks training in relevant field or areas as decided from time to time. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation (including short-term contract): Officer of Stenographer cadre from the Central	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: (1) Chairperson or Member of Union Public Service Commission – Chairperson; (2) Member of the Appellate Tribunal (to be nominated by the President, Goods and Service Tax Appellate Tribunal – Member; (3) nominee of the Secretary, Department of Revenue, Ministry of Finance (not below the rank of Director/Deputy Secretary) – Member; (4) Registrar of Goods and Service Tax Appellate	Consultation with Union Public Service Commission is necessary for promotion.

			Government or State Governments or Union territory Administrations or autonomous bodies or statutory organisations or public sector undertakings or courts or tribunals or Higher Judicial Service or State Judicial service: (A) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) five years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-10 (Rs. 56100 – 177500) in the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) seven years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-9 (Rs. 53100 - 167800) in the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre or department; or (iv) eight years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-8 (Rs. 47600 - 151100) in the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (B) possessing the following educational qualifications and experience, namely:— (i) Bachelor's degree in any stream from a recognised university or institute; and (ii) two years experience in secretarial practices, office management, public dealing and related matters. Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for	Tribunal Member.	—	
--	--	--	--	------------------	---	--

			appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Governments shall ordinarily not exceed four years. Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		
--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8. Senior Private Secretary.	*21(2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Ministerial.	Level- 8 (Rs. 47600 - 151100).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion, failing which deputation.	Promotion: Private Secretary in level- 7 (Rs. 44900 - 142400) in the Pay Matrix with two years regular service in the grade and having successfully completed two to four weeks training as prescribe in the instant rule by competent authority; failing which Private Secretary in level- 7 (Rs. 44900 - 142400) in the Pay Matrix with six years combined regular service of Private	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (1) Member of the Appellate Tribunal (to be nominated by the President, Goods and Service Tax Appellate	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

			Secretary, level-7 (Rs. 44900 - 142400) in the Pay Matrix and Stenographer Grade-I, level-6 (Rs. 35400 - 112400) in the Pay Matrix and having successfully completed two to four weeks training as prescribed by competent authority. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: Officers holding the post of Stenographer cadre under the Central Government or State Government or Union territory Administrations: (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) two years regular service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-7 (Rs. 44,900 to 1,42,400) in the Pay Matrix or	Tribunal) – Chairperson; (2) nominee of the Secretary, Department of Revenue, Ministry of Finance (not below the rank of Director or Deputy Secretary) - Member; and (3) Registrar of Goods and Service Tax Appellate Tribunal – Member.	
--	--	--	--	---	--

			equivalent in the parent cadre or department. Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another <i>ex- cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 3.- The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		
--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9. Private Secretary.	*24(2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Ministerial.	Level- 7 (Rs. 44900 – Rs. 142400).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion, failing which deputation.	Promotion: Stenographer Grade-I in level-6 (Rs. 35400 – 112400) in the Pay Matrix with five years regular service in the grade and having successfully completed two weeks training in secretarial practices, office management, effective communication skill, public dealing, dictations of judgements or orders and other administrative and judicial matters related to Tribunal. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: Officers holding the post in Stenographer cadre under Central Government or State Governments or Union territory Administrations: (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:— (1) Member of the Appellate Tribunal (to be nominated by the President, Goods and Scervice Tax Appellate Tribunal) - Chairperson; (2) nominee of the Secretary, Department of Revenue, Ministry of Finance (not below the rank of Director or Deputy Secretary) - Member; and (3) Registrar of Goods and Service Tax Appellate Tribunal - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

			(ii) five years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-6 (Rs. 35400 – 112400) in the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre or department. Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.		
--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10. Stenographer Grade I.	*72 (2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non- Gazetted, Ministerial.	Level- 6 (Rs. 35400 – 112400).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years.	By promotion failing which deputation.	Promotion: Stenographer Grade-II in level-4 (Rs. 25500 - 81100) in the Pay Matrix with ten years regular service and having successfully completed two weeks training in secretarial practices, office management, effective communication skill, public dealing, dictations of judgements or orders and other administrative and judicial matters related to the Tribunal. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation : Officers holding the post in Stenographer cadre under Central Government or State Governments or Union territories Administrations:	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-- (1) Member of the Appellate Tribunal (to be nominated by the President, Goods and Service Tax Appellate Tribunal) - Chairperson; (2) nominee of the Secretary, Department of Revenue, Ministry of Finance (not below the rank of Director or Deputy Secretary) - Member; and (3) Registrar of Goods and Service Tax Appellate Tribunal – Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

			(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) ten years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-4 (Rs. 25500 – Rs. 81100) in the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre or department. Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six as on the last date of receipt of applications.		
--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11. Senior Accounts Officer.	*24(2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level- 10 (Rs. 56100 – 177500).	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	By deputation.	Deputation: (A) Officers under the Central Government or State Government or Union territory Administrations or Tribunals: (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) two years regular service in pay level-9 (Rs. 53100 - 167800) in the Pay Matrix or equivalent; or (iii) four years regular service in pay level-8 of the Pay Matrix (Rs. 47600 – Rs. 151100) or equivalent in the Pay Matrix; and (B) possessing the following educational qualifications and experience: Essential: (i) Bachelor's degree from a recognised university or institution; (ii) three years experience in cash or account or Budget work in a Government office or public sector undertaking or autonomous body or statutory body. Desirable: Two years experience in audit or accounts/ Management of Finance and Budgeting. Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment shall ordinarily not exceed three years. Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be	Not applicable.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

			exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		
--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12. Accountant.	*24(2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Ministerial.	Level- 6 (Rs. 35,400 - 1,12,400).	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	By deputation.	Deputation: (A) Officers under the Central Government or State Government, Union territory Administrations or Tribunals:— (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) six years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the level-5 (Rs. 29200 -92300) or equivalent in the Pay Matrix; or (iii) ten years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the level-4 (Rs. 25500 – 81100) in the Pay Matrix or equivalent; and (B) possessing the following educational qualifications and experience: Essential: (i) Bachelors degree from a recognised university or institution; (ii) Two years experience in cash or account or Budget	Not applicable.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

			work in Government office or public sector undertaking or autonomous body or statutory body. Desirable: One year experience in audit or accounts or Management of Finance and Budgeting. Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment shall ordinarily not be exceeding three years. Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		
--	--	--	--	--	--

[F. No. A-11/1/2024-CESTAT-DOR-DOR-Part(2)-Part(4)]

BALASUBRAMANIAN KRISHNAMURTHY, Jt. Secy.